क्रम-संख्या–336

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 27 अप्रैल, 1984

बैशाख 7, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 946/सत्रह-वि0-1-1(क)-2-1984

लखनऊ, 27 अप्रैल, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 26 अप्रैल, 1984 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1984)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "31 मार्च, 1984" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मार्च, 1985" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश 1984 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान् उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 946(2)/XVII-V—1-1(KA)-2-1984

Dated Lucknow, April 27, 1984

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 26, 1984.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ACT, 1984

[U. P. Act No. 9 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), *for* the words and figures "31st day of March, 1984", the words and figures "31st day of March, 1985" shall be *substituted.*

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1984 is hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 पी0 26 सा0 (विधा0)--(432)--1984--725 (मेक0)।